सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट :– 32/2017

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री योगेश गर्ग पुत्र चन्द्रमोहन गर्ग जाति अग्रवाल निवासी चौमुखा बाजार बारां **(विक्रेता)** मैसर्स हार्दिक ट्रेडर्स, हॉस्पिटल रोड बारां।

2– श्री चन्द्र मोहन गर्ग पुत्र श्री नेमीचन्द्र गर्ग निवासी गुर्जर मोहल्ला रघुनाथ जी के मन्दिर के पास बारां **(मालिक लाईसेन्स धारी)** मैसर्स हार्दिक ट्रेडर्स, हॉस्पिटल रोड बारां।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 22.05.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.03.2017 को मैसर्स हार्दिक ट्रेडर्स, हॉस्पिटल रोड बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री योगेश गर्ग पुत्र चन्द्रमोहन गर्ग **(विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 01.03.2017 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **बेसन (पतंजलि)** जो लगभग 500 ग्राम के मूल पैक मे 10 पैकेट विक्रय हेतु रखा हुया था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **बेसन (पतंजलि)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **बेसन (पतंजलि)** विक्रेता से 500 ग्राम के 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री योगेश गर्ग पुत्र चन्द्रमोहन गर्ग को 300/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री भरत गौतम व श्री जिगर औझा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **बेसन (पतंजलि)** 500 ग्राम के 04 पैकेटों को चार नमूना भागो मे अलग–2 कर मूल पैकेट को प्लास्टिक के डिब्बो मे भरकर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एएच–695 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–695 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पूर्ण विवरण लिखकर तथा मेने भी नमूना भागो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री योगेश गर्ग पुत्र चन्द्रमोहन गर्ग ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में में सीलबन्द कर सील मोहर मर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियॉ के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/83 दिनांक 20.3.2017 से ज्ञात हुआ कि खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 63/FSSA/Kota/Act/2017/63 दिनांक 03.03.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **बेसन (पतंजलि)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में अनुसंधान हेतु अप्रार्थीगण से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल की सूचना चाही गई। अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रतिउत्तर कार्यालय में पेश नही किया गया। तत्पश्चात खाद्य लाईसेन्स कार्यालय से प्राप्त किया गया जिसमें ज्ञात हुआ की मैसर्स हार्दिक ट्रेडर्स, हॉस्पिटल रोड बारां के श्री चन्द्र मोहन गर्ग पुत्र श्री नेमीचन्द्र गर्ग निवासी गुर्जर मोहल्ला रघुनाथ जी के मन्दिर के पास बारां (मालिक) पाया गया है।

इस पर प्रकरण दिनांक 01.11.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **बेसन (पतंजलि)** का विक्रय किया जा रहा है, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिवाद असत्य, निराधार, त्रुटिपूर्ण एवं न्याय की दृष्टि से विश्वास किए जाने योग्य नही है। उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति बिना मस्तिष्क प्रयोग किए, मिथ्या जांच रिपार्ट के आधार पर जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लिए जाने से पूर्व मिथ्याछाप हेतु लिए जाने का कथन नही किया है एवं प्रक्रिया का पूर्ण पालन नहीं कर आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की है तथा अप्रार्थीगण को चौथा भाग नमूने का भी प्रेषित नही किया गया है। जांच रिपोर्ट में धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन बताया गया है जबकि न्यूट्रिशनल इन्फोरमेशन प्रावधानों की पालना में पूर्ण दर्शित है जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की मिलावट, अशुद्धता नही पाई गई है। जांच प्रयोगशाला एन.बी. सी.एल. से अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा एक्रीडिएटेड एवं मान्यता प्राप्त नही होने से जांच रिपोर्ट पठनीय नही है। धारा 43 एफ.एस.एस. एक्ट के विपरित है तथा जांच रिपोर्ट में **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होने का कोई आधार प्रकरण में नही है। फार्म नं0 6 की प्रमाणित प्रति उत्तरदाता द्वारा न्यायालय से प्राप्त की गई है जिससे स्पष्ट है कि कोई सील इम्प्रेशन नमूने पर लगाई जाने वाली सील का दर्ज नही है इस करण सील इंटेक्ट पाए जाने का कथन जांच रिपोर्ट में मिथ्या है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 63/FSSA/Kota/Act/2017/63 दिनांक 03.03.2017 के बाद खाद्य पदार्थ **बेसन (पतंजलि)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण की उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **बेसन (पतंजलि)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थीगण क्रम 1 एवं 2 को प्रत्येक अप्रार्थी को 10,000/—रूपये कुल जुर्माना राशि 20,000/— अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)